न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

आपराधिक प्रकरण.क.02 / 2017 संस्थित दिनांक—03 / 01 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0।

- 1. डिलेश पिता हेमेन्द्र टेम्भरे उम्र 22 वर्ष जाति पवार साकिन सुकतरा थाना बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 2. बलदेव पिता खेलसिंह वल्के उम्र 35 साल जाति गोंड साकिन बतरिया थाना बैहर जिला बालाघाट म०प्र०।**अभियुक्तगण**

—ः <u>निर्णय</u>ः—— -:दिनांक—<u>29 / 01 / 2018</u> को घोषितः—

- 1— 🔊 अभियुक्त डिलेश टेम्भरे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(2 काउन्टस) एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा– 184, 146/196, 3/181, 77/177 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-18.12.2016 को समय 8:00 बजे बिट्टू किराना दुकान के सामने मेन रोड़ नरसिंहटोला बैहर में मोटरसाईकिल कमांक— एम.पी.—50 / एम.जे.—7395 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन से मुन्नालाल पटले व देवेन्द्र मरकाम को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित कर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर उक्त वाहन को बिना बीमा, बिना वैध लाईसेंस एवं वाहन में आगे या पीछे बिना नम्बर लिखाये चलाया था एवं अभियुक्त बलदेव पर मोटर व्ही.एक्ट की धारा—5/180, 146/196 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल कमांक-एम.पी.-50 / एम.जे.-7395 को बिना वैध लाईसेंस वाले व्यक्ति से बिना बीमा करवाए चलवाया था।
- प्रकरण में अभियुक्त डिलेश टेम्भरे को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337(2 काउन्ट) के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा–184, 146 / 196, 3 / 181, 77 / 177, 5 / 180 राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त डिलेश टेम्भरे पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-184,

146 / 196, 3 / 181, 77 / 177, एवं अभियुक्त बलदेव पर मो.व्ही.एक्ट की धारा—5 / 180, 146 / 196 में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—20.12.2016 को पुलिस थाना बैहर में अस्पताल से तहरीर जांच के लिए प्राप्त हुई थी। तहरीर प्राप्त होने पर भुवनप्रसाद अटकरे ने रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उसके आधार पर सहायक उपनिरीक्षक योगेन्द्रसिंह ने घटना के आहत मुन्नालाल पटले, देवेन्द्र मरकाम एवं अभियुक्त डिलेश के कथन लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त डिलेश ने मोटरसाईकिल नई बिना नम्बर की न्यू ड्रिमों होण्डा को दिनांक 18.12.2016 को 20:00 बजे हर्रानाला के आगे बिट्टू किराना दुकान के सामने मेन रोड में मोटरसाइकिल को तेज रफतार से लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर मुन्नालाल पटले व देवेन्द्र मरकाम को चोट पहुचायी थी। मोटरसाइकिल बिना नम्बर के चलाना पायी गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध कमांक—254/16 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
- 4— अभियुक्तगण को निर्णय के पैरा—1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्तगण का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर उनका कहना है कि वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है</u>:–

- 1. क्या अभियुक्त डिलेश टेम्भरे ने घटना दिनांक—18.12.2016 को समय 8:00 बजे, बिट्टू किराना दुकान के सामने मेन रोड़ नरसिंहटोला बैहर में मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.—50 / एम.जे. —7395 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया था ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया था ?

- 4. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चलाया था ?
- 5. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन में आगे या पीछे बिना नम्बर लिखाए चलाया था ?
- 6. क्या अभियुक्त बलदेव ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.—50 / एम.जं.—7395 को बिना वैध लाईसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया था ?
- 7. क्या अभियुक्त बलदेव ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.—50 / एम.जं.—7395 को बिना बीमा करवाए चलवाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्द् कमांक-1 का निराकरण:-

- 7— मुन्नालाल पटले अ.सा.04 का कथन है कि घटना दिनांक 18.12.2016 की शाम के सात बजे की है। वह शाम के समय बैहर से अपने घर जा रहा था। साक्षी के पीछे से अभियुक्त डिलेश टेम्भरे उसकी होण्डा ड्रीम मोटरसाईकिल को चलाकर लाया था साक्षी घबडाहट में नीचे गिर गया था एवं बेहोश हो गया था। अभियुक्त गाड़ी कैसे चला रहा था एवं अभियुक्त की मोटरसाइकिल का नम्बर क्या था साक्षी को पता नहीं है। साक्षी के समक्ष पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी.01 बनाया गया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है।
- 8— देवेन्द्र मरकाम अ.सा.01 का कथन है कि घटना दिनांक 18.12.2016 की रात्रि 8:00 बजे की है। घटना के समय वह उसके मित्र अभियुक्त डिलेश के साथ रौंदाटोला जा रहा था। मोटरसाइकिल अभियक्त चला रहा था। हर्रानाला से आगे बढ़े थे तो अभियुक्त ने मुन्ना को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने से साक्षी एवं ढ़िलेश मोटरसाइकिल से नीचे गिर गये थे। मुन्ना भी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया था। चोट लगने के कारण सभी का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। साक्षी के पुलिस ने कथन लिये थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न

पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखायी थी एवं पुलिस को कथन नहीं दिया था। घटना के समय अभियुक्त की मोटरसाइकिल धीमी गति से चल रही थी। अभियुक्त ने रास्ते में गाय आ जाने के कारण मोटरसाईकिल को रोड के किनारे साईड में ली थी, इस कारण मोटरसाईकिल से गिर गये थे। देवेन्द्र मरकाम ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

- 9— डां.एन.एस.कुमरे अ.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 18.12.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को साक्षी द्वारा थाना प्रभारी बैहर को तहरीर दी थी जिसमें लिखा था कि उनके द्वारा 08:15 बजे रोड एक्सीडेण्ट में चोट आने के कारण आहतगण डिलेश, देवेन्द्र, एम.एम. पटले का मेडिकल परीक्षण किया था। आहतगण देवेन्द्र, एम.एम.पटले, आहत/अभियुक्त डिलेश की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 लगा. प्र.पी.10 है जिन पर क्रमशः ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं।
- 10— भगतिसंह कुंजाम प्रधान आरक्षक अ.सा.02 का कथन है कि दिनांक 20.12.2016 को उन्हें थाना बैहर के अपराध क. 254/16 की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी तब उक्त साक्षी ने फिरयादी मुन्नालाल की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था। अभियुक्त से होण्डा ड्रीम बिना नम्बर की तथा आर.सी.बुक क.—एम.पी.—50/एम.जे.—7395 को प्र.पी.02 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त का अभिरक्षा पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र प्र.पी. 04 दिया था। अभियुक्त को गिरफतार नहीं किया था जिसके संबंध में प्र.पी.05 की सूचना दी थी एवं वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था।
- 11. प्रकरण के फरियादी देवेन्द्र अ.सा.01, मुन्नालाल अ.सा.04 ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। मुन्नालाल पटले अ.सा.04 उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभतः राजीनामा होने के कारण इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य से इस विचारणीय बिन्दु की घटना का समर्थन नहीं होता है। राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में इस विचारणीय बिन्दु के संबंध में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष

प्रकरण के फरियादी एवं आहत की साक्ष्य से अभियुक्त डिलेश के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.-50 / एम.जो.-7395 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 लगा. 7 का निराकरण:-

भगतसिंह कुंजाम अ.सा.०२ का कथन है कि उन्होंने वाहन 12-मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.-50 / एम.जे.-7395 के मालिक को प्र.पी.06 का नोटिस दिया था। साक्षी ने अनुसंधान के समय यह पाया था कि घटना के समय अभियुक्त डिलेश के पास वाहन का द्वायविंग लाईसेंस एवं बीमा नहीं था। वाहन को बिना ड्रायविंग लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलवाना पाये जाने से अभियुक्त बलदेव को सह अभियुक्त बनाया था। देवेन्द्र मरकाम अ.सा.०१ एवं मुन्नालाल पटले अ.सा.०४ ने अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल चलाना बताया है। अभियुक्त बलदेव ने अभियुक्त डिलेश को प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल बिना वैध बीमा एवं बिना लाईसेंस के चलाने के लिए दी थी। प्रकरण के विवेचक एवं प्रकरण के किसी भी साक्षी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त मोटरसाइकिल को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चला रहा था। प्रकरण के विवेचक ने उसकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त डिलेश ने वाहन में आगे एवं पीछे नम्बर नहीं लिखवाया था। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल में आगे एवं पीछे बिना नम्बर लिखाये लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलायी थी। विवेचक भगतसिंह कुंजाम ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त बलदेव ने अभियुक्त डिलेश से मोटरसाईकिल को बिना द्वायविंग लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलवाया था। देवेन्द्र मरकाम अ.सा.०1, मुन्नालाल अ.सा.०4 की साक्ष्य से इस बात का समर्थन होता है कि अभियुक्त घटना के समय प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल को चला रहा था इस कारण प्रकरण में विवेचक की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त डिलेश ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल को बिना बीमा के, बिना द्वायविंग लाईसेंस के चलायी थी एवं अभियुक्त बलदेव ने प्रकरण में जप्तशुदा उसकी मोटरसाइकिल को बिना बीमा एवं बिना डायविंग लाईसेंस के अभियुक्त डिलेश से चलवायी थी।

14— प्रकरण में अभियुक्तगण का धारा—428 दं.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। 🕢

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम् श्रेर्ण तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला-बालाघाट